न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/216/2013

उनवान

1. जयचंद पिता धन्ना खटीक निवासी निम्बाहेडा जाटान तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा
2. जयचन्द पिता गंगाराम बलाई निवासी निम्बाहेडा जाटान तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. सत्यनारायण पिता मोहन लाल शर्मा निवासी निम्बाहेडा जाटान, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 282/2011 निर्णय दिनांक 25.6.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री ए आर पठान, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2,3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा निम्बाहेडा जाटान तहसील माण्डल की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 147 में आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी II श्री जयचन्द पिता गंगाराम बलाई निवासी निम्बाहेडा जाटान के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा खातेदार विपक्षी संख्या 1 जयचन्द उर्फ कैलाशचन्द्र पिता गंगाराम बलाई ने 26 साल पहले संवत 2042 में 1000/—रूपये में सत्यनारायण पिता मोहन लाल शर्मा निवासी निम्बाहेडा जाटान तहसील माण्डल को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया।

2. विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 12.8.2011 को इकरारनामा से जाहिर किया कि मेरे पिता जी के उक्त भूमि के बेचान के समय मैं बाहर नौकरी कर रहा था। श्री जयचंन्द पिता धन्ना खटीक निवासी निम्बाहेडा जाटान के कहकने से मैंने उक्त जमीन के कहने से मैंनें उक्त जमीन के पूर्व में बेचान की जानकारी नहीं होने से उसके नाम दिनांक 12.8.2011 को बेचान कर दी । लेकिन जमीन पर मेरा कब्जा 26 साल से नहीं है क्योंकि जब सत्यनारायण जी को जमीन 26 साल पहले बेची तब ही कब्जा दे दिया था। इकरार पत्र दिनांक 12.8.2011 एवं पुराने चौपने की छाया प्रति संलग्न है।

3. विपक्षी संख्या 1 के पिता गंगाराम बलाई निवासी निम्बाहेडा जाटान द्वारा संवत 2042 को किया गया विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ख) का स्पष्ट उल्लंघन है जो काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार उक्त विक्रय शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है इसलिए धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विक्रित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड में किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाना न्यायोचित व विधिसम्मत है एवं क्रेता विपक्षी संख्या 3 को बदेखली योग्य है। अतः विपक्षी संख्या 1 जयचंद पिता गंगाराम बलाई निवासी निम्बाहेडा जाटान के पिता श्री गंगाराम बलाई द्वारा आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा कासंवत 2042 को किया गया बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 ख का उल्लंघन होने से विक्रय की गई भूमि पर विपक्षी संख्या 3 का कब्जा अवैध होकर बेदखली योग्य है। अतः वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 5 संख्या 2012 अपील एवं उक्त प्रकरण संख्या 282/2011 दोनों प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में साथ–साथ ही विचाराधीन होकर तारीख पेशी दिनांक 13.6.2013 की नियत थी तथा उसके पश्चात आगामी पेशी दोनों पत्रावलियों में दिनांक 25.6.2013 को नियत की गई जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी दिनांक 19.7.2013 को गये तो उस दिन केवल मात्र एक पत्रावली मिली। जिस पर जानकारी करने पर दिनांक 9.9.2013 को होने पर दिनांक 9.9.2013 को नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 12.9.2013 को नकल मिलने पर प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी की अपील को अन्दर मियाद मानी जावे।

7. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में जयचंद पिता गंगाराम बलाई के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। खातेदार जयचंद ने वादग्रस्त आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.8.2011 को द्वारा अपीलार्थी को विक्रय किया गया । जबकि जयचंद उर्फ कैलाश चन्द्र पिता गंगाराम बलाई के पिता ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा को संवत 2042 में 1000/—रूपये में श्री सत्यनारायण पिता मोहन लाल शर्मा को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया । विक्रेता जयचंद पिता गंगाराम बलाई ने दिनांक 12.8.2011 को एक इकरारनामा से जाहिर किया कि मेरे पिता जी के बेचान के समय में बाहर नौकरी कर रहा था। श्री जयचंद पिता धन्ना खटीक निवासी निम्बाहेडा के कहने से मैंनें उक्त जमीन के पूर्व में बेचान की जानकारी नही होने से उसके नाम दिनांक 12.8.2011 को विक्रय कर दी लेकिन जमीन पर मेरा कब्जा 26 साल पहले बेची तब ही कब्जा दे दिया था। इकरार पत्र दिनांक 12.8.2011 एवं पुराने चौपने की छाया प्रति संलग्न है। विपक्षी संख्या 1 गंगाराम बलाई निवासी निम्बाहेडा जाटान के द्वारा द्वारासंवत 2042 को किया गया विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 ख का स्पष्ट उल्लंघन है इस कारण वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना एवं विपक्षी संख्या 3 को बेदखल किये जाने योग्य है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जा विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी ग्राम निम्बाहेडा जाटान की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 147 में आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय विपक्षी जयचंद पिता गंगाराम बलाई के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है। जिससे विपक्षी जवाबदावा द्वारा दिनांक 12.8.2011 को ग्राम निम्बाहेडा जाटान की वादग्रस्त आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी श्री जयचंद पिता गंगाराम बलाई निवासी निम्बाहेडा जाटान से बिल एवज 1,50,000/–रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर आधिपत्य में ली है, जिसका विक्रय पत्र उपपंजीयक , करेडा के यहॉ दिनांक 12.8.2011 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 73 में पृष्ठ संख्या 1 क्रम संख्या 2011001259 पर पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 101 के पृष्ठ संख्या 1 से 4 पर चस्पा किया गया है। विपक्षी जवाबदावा ने उक्त खरीदसुदा आराजी का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु दिनांक 17.8.2011 को अतिरिक्त तहसीलदार, करेडा तहसील माण्डल द्वारा पटवारी हल्का निम्बाहेडा जाटान को मूल ही फोटो स्टेट विक्रय पत्र जसके क्रमांक भूअ/11/07 दिनांक 17.8.2011 को पटवारी हल्का निम्बाहेडा जाटान को पृष्ठांकन नामान्तरकरण खुलवाने हेतु आदेश दिया था, नहीं खोलने पर विपक्षी जवाबदाता के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 1.11.2011 को अतिरिक्त तहसीलदार करेडा तहसील माण्डल को नामान्तरकरण खोलने हेतु रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्रेषित किया जिस पर कार्यालय तहसीलदार (भू अ) /11/1480 दिनांक 9.11. 2011 को जवाब प्राप्त हुआ । उसमें नामान्तरकरण खोलने हेतु नामान्तरकरण संख्या 1560 दर्ज किया जाकर भू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अभिलेख निरीक्षक बैमाली द्वारा दिनांक 1.9.2011 एवं दिनांक 27.9.2011 को जांच की गई, तथा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 20.10.2011 को ग्राम पंचायत निम्बाहेडा जाटान की बैठक में प्रस्तुत किया , जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा आगामी कोरम में पेश करने हेतु लिखा गया , दिनांक 20.10.2011 के बाद 5.11.2011 तक निम्बाहेडा जाटान ग्राम पंचायत की बैठक नहीं हुई। इस प्रकार जवाब दिया गया ।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को डेढ लाख रूपये लेकर वादग्रस्त आराजी विक्रय की थी। जिसका पंजीयन दिनांक 12.8.2011 को करवाया था। प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत निम्बाहेडा जाटान का फोटो लगा हुआ प्रमाण पत्र जारी कर ही रजिस्ट्री करवाई थी। अब प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इकरार नामा दिनांक 12.8.2011 को किया गया जो अवैध होकर शून्य प्रभावी है। क्योंकि अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। उसके उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 को कथित तौर पर चौपनिये एवं इकरारनामा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 ने ऐसा कोई कृत्य किया है तो उसके विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 3 करवा सकता है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1942 की धारा 42 (ख) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है एवं न ही प्रत्यर्थी संख्या 1/विपक्षी उक्त विक्रय पत्र को शून्य, अवैध एवं निष्प्रभावी धारा 175 के तहत करवाकर वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज करवा सकता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। उक्त सारी कार्यवाही राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी तहसीलदार माण्डल के अधीनस्थ ही अतिरिक्त तहसीलदार करेडा आता है , जिसकी सभी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी तहसीलदार माण्डल को थी। तथा नामान्तरकरण संख्या 1560 में इस बाबत राजस्व अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 18.12.2012 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की तलबी हेतु पेरोकार सरकार को प्रोसेस सम्मन पेश करें तो जारी करें, पत्रावली दिनांक 22.2.2013 को मुकाम निम्बाहेडा जाटान वास्ते तलबी विपक्षी संख्या 1 व 3 पेश हो, उसके उपरान्त दिनांक 22.2.2013 को कोई आदेशिका नहीं है तथा दिनांक 30.5.2013 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार होने से पत्रावली दिनांक 13.6.2013 नियत की गई। और दिनांक 13.6.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरा कार्यवाही का आदेश किया और विपक्षी संख्या 3 को फोन पर तामिल कुनिन्दा द्वारा सूचना देने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं पेरोकार सरकार के जवाब एवं बहस हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.6.2013 को अपीलार्थी की बहस सुने बगैर ही प्रर्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो खारिज योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आराजी नम्बर 284/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार जयचन्द पिता गंगाराम बलाई निवासी निम्बाहेडा जाटान से 1,50,000/–रूपये में क्रय की , तथा नामान्तरकरण हेतु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आवेदन किया किन्तु ग्राम पंचायत निम्बाहेडा जाटान द्वारा नामान्तरकरण खारिज कर दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो जैर कार्यवाही थी तथा प्रकरण संख्या 282/2011 भी इसी पत्रावली के साथ विचाराधीन होकर एक ही तारीख पेशी नियत थी, अधीनस्थ न्यायालय को इस बारे में पूरी जानकारी थी तथा अपने निर्णय में भी इसका उल्लेख किया गया है, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट की बिना बहस सुने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.11.2011 को अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1560 को क्रेता –विक्रेता का कब्जा नहीं होने से खारिज किया । जिसकी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 5/2012 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । जिस निर्णय की अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय अजमेर में की गई। जिसमें अपील आंशिक स्वीकार कर दिनांक 21.8.2017 द्वारा निर्देशित किया गया कि '' विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा जिन आधारों पर धारा 175 की कार्यवाही की गई तथा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय, विवादित भूमि के बेचाननामा एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 282/2011 अन्तर्गत धारा 175 में पारित निर्णय दिनांक 25.6.2013 का अवलोकन कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर समुचित निर्णय पारित करें।'' अतः अपीलाधीन मामले में माननीय अतिरिक्त संभागीय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आयुक्त न्यायालय अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

14. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि नामान्तरकरण की अपील अभी राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है।

15. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी को अपीलार्थी ने खातेदार काश्तकार प्रत्यर्थी संख्या 2 से दिनांक 12.8.2011 को 1,50,000/–रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलार्थी का है। उसी दिन प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 द्वारा 100/–रूपये के स्टाम्प पर इकरार नामा दिनांक 12.8.2011 को प्रत्यर्थी संख्या 3 के हक में किया गया जो अवैध होकर शून्य प्रभावी है। क्योंकि अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। उसके उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 को कथित तौर पर चौपनिये एवं इकरारनामा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 ने ऐसा कोई कृत्य किया है तो उसके विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 3 करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही राजनैतिक प्रभाव में आकर उक्त कार्यवाही की गई है। जिसमें वादग्रस्त आराजी को प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अंकित किया गया कि'' उसके पिता गंगाराम द्वारा 26 साल पहले प्रत्यर्थी संख्या 3 को वादग्रस्त आराजी का विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। कब्जा भी प्रत्यर्थी संख्या 3 का ही माना है। ''

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

16. यह भी स्पष्ट है कि एक ही दिन में यादि दिनांक 12.8.2011 को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में 1,50,000/—रूपये में विवादित आराजी का बेचान कर कब्जा भी संभलाना अंकित किया है व साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 3 के पक्ष में विवादित आराजी संबंधीत अपंजीकृत इकरारनामा भी निष्पादित किया है। जिसमें कब्जा स्वयं का न होकर प्रत्यर्थी संख्या 3 का दर्शाया है। हालांकि अपंजीकृत इकरारनामा होने से किसी भी क्रेता को भूमि संबंधी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धोखे में रख कर बेचान किया है। प्रकरण में अभी भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में नामान्तरकरण की अपील भी विचाराधीन है।

17. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.6.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि 978उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.18 को उपस्थित रहें।

18. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

31/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्र. अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा